"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 121] रायपुर, बुधवार, दिनांक 27 मई 2009—ज्येष्ठ 6, शक 1931

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 मई 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10/15/2009/वाक/पांच (24).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतदद्वारा, अधिसूचना क्रमांक एफ-10/28/2006/वाक/पांच (16) दिनांक 30-03-2006 में निम्नानुसार संशोधन करती है :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में अनुक्रमांक 109 में शब्द "सेवई" को विलोपित किया जाय.

2. यह संशोधन 1 अप्रैल, 2009 से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 27 मई 2009

क्रमांक एफ 10/15/2009/वाक/पांच (24).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10/15/2009/वाक/पांच (24), दिनांक 27-5-2009 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

Raipur, the 27th May 2009

NOTIFICATION

No. F 10/15/2009/CT/V (24).—In exercise of the powers conferred by section 15-B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby makes the following amendment in the Notification No. F-10/28/2006/CT/V (16) dated 30-03-2006 :—

AMENDMENT

In Schedule to the said Notification the word "Sewai" in serial No. 109 shall be omitted.

2. This amendment shall come into force with effect from 1st April, 2009.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
V. K. RAI, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 27 मई 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10/15/2009/वाक/पांच (25).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट सीमा तक 01-04-2009 से 31-03-2010 तक की अवधि के लिये उक्त अधिनियम के अधीन कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है :—

अनुसूची

अ. क्र. (1)	वस्तुओं की श्रेणी (2)	छूट की सीमा (3)
1.	सेवई	संपूर्ण कर
2.	बायो फ्यूल	संपूर्ण कर
3.	लेमिनेटेड वुड, जो सेन्ट्रल एक्साईज टेरिफ एक्ट, 1985 के टेरिफ आयटम 4412 में दर्ज है.	अंशतः इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 4 प्रतिशत हो जाए.
4.	छत्तीसगढ़ राज्य में उत्पादित आयरन एंड स्टील सामग्री, जो सेन्ट्रल एक्साईज टेरिफ एक्ट, 1985 के टेरिफ आयटम 7308 में दर्ज है.	अंशतः इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 4 प्रतिशत हो जाए.
5.	छत्तीसगढ़ राज्य में उत्पादित मोटर वाहन की बाडीज् तथा ट्रेलर्स, जो सेन्ट्रल एक्साईज टेरिफ एक्ट, 1985 के टेरिफ आयटम 8707 तथा 8716 में दर्ज है.	अंशतः इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 4 प्रतिशत हो जाए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 27 मई 2009

क्रमांक एफ 10/15/2009/वाक/पांच (25).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10/15/2009/वाक/पांच (25), दिनांक 27-5-2009 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

Raipur, the 27th May 2009

NOTIFICATION

No. F 10/15/2009/CT/V (25).—In exercise of the powers conferred by section 15-B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby exempts the class of goods specified in column (2) of the Schedule below from payment of tax under the said Act to the extent specified in column (3) for the period from 01-04-2009 to 31-03-2010.

SCHEDULE

S. No. (1)	Class of goods (2)	Extent of Exemption (3)
1.	Sewai	Whole of tax
2.	Bio-fules	Whole of tax
3.	Laminated wood, as specified in Tariff Item 4412 of the Central Excise Tariff Act, 1985.	Partly so as to reduce the rate of tax to 4 percent.
4.	Articles of Iron and Steel manufactured in the Chhattisgarh State, as specified in Tariff Item 7308 of the Central Excise Tariff Act, 1985.	Partly so as to reduce the rate of tax to 4 Percent.
5.	Bodies for the Motor vehicle and Trailers manufactured in the Chhattisgarh State, as specified in Tariff Item 8707 and 8716 of the Central Excise Tariff Act, 1985.	Partly so as to reduce the rate of tax to 4 Percent.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
V. K. RAI, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 27 मई 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10/15/2009/वाक/पांच (26).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, लघु उद्यम (जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 में परिभाषित है) को छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर नियम, 2006 के अधीन नियम 35 के उप-नियम (2) के प्रावधान से 01-04-2009 से 31-03-2010 तक की कालावधि के लिये मुक्त करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 27 मई 2009

क्रमांक एफ 10/15/2009/वाक/पांच (26).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10/15/2009/वाक/पांच (26), दिनांक 27-5-2009 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

Raipur, the 27th May 2009

NOTIFICATION

No. F 10/15/2009/CT/V (26).—In exercise of the powers conferred by section 15-B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby exempts Small Enterprise (as defined in the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006) from the provision of sub-rule (2) of rule 35 under the Chhattisgarh Value Added Tax Rule, 2006 for the period from 01-04-2009 to 31-03-2010.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
V. K. RAI, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 27 मई 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10/15/2009/वाक/पांच (27).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 71 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर नियम, 2006 में राजपत्र के प्रकाशन दिनांक से निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा,—

संशोधन

उक्त नियमों में,

वर्तमान नियम 75 एवं उसके उप-नियमों के स्थान पर निम्नानुसार नियम एवं उप नियमों को प्रतिस्थापित किया जाए :—

75. राज्य से होकर सड़क मार्ग द्वारा माल का अभिवहन तथा अभिवहन पास (ट्रांजिट पास) का जारी किया जाना :—

(1) जब माल को ले जाने वाला कोई यान प्रदेश के बाहर किसी स्थान से आकर प्रदेश के बाहर से जाने हेतु राज्य से गुजरता है, तो यान का चालक/यान का भारसाधक व्यक्ति प्रदेश में प्रवेश करने के स्थान पर/के पास स्थापित (जिसे इसके पश्चात् प्रवेश जांच चौकी कहा गया है) के जांच चौकी अधिकारी को चालान या परिवहनकर्ता (ट्रांसपोर्टर) द्वारा जारी अन्य कोई दस्तावेज जिसमें निम्नलिखित विशिष्टियां हों, तृतीयक में प्रस्तुत करेगा :—

1. परेषक का नाम और पूरा पता-टिन (यदि कोई हो) सहित
2. परेषिती का नाम और पूरा पता-टिन (यदि कोई हो) सहित
3. उस व्यक्ति का नाम और पूरा पता जिसको माल परिदत्त किया जाएगा, यदि उसका परेषिती स्वयं (सेल्फ) के रूप में दर्शाया गया हो.
4. वह स्थान जहां से माल भेजा गया था
5. गन्तव्य स्थान (जिला सहित)
6. माल का संक्षिप्त विवरण
7. कुल मात्रा
8. कुल वजन
9. कुल मूल्य
10. परेषक का बीजक क्रमांक और तारीख

11. (क) यान (परिवहन कंपनी या यान का स्वामी) का नाम और पता
(ख) यान का उसके नंबर सहित ब्यौरा
(ग) चालक का नाम और पता
(घ) माल के भारसाधक व्यक्ति का नाम और पता
(ङ) बिल्टी/एल. आर. नंबर और दिनांक

12. अभिवहन में माल के वाहनांतरण (ट्रांसशिपमेंट) की दशा में,--
(क) वाहन (परिवहन कंपनी या यान का स्वामी) का नाम और पता
(ख) यान का उसके नंबर सहित ब्यौरा
(ग) यान के चालक का नाम और पता
(घ) माल के भारसाधक व्यक्ति का नाम और पता
(ङ) बिल्टी/एल. आर. नंबर और दिनांक
(च) निर्गम जांच चौकी का नाम जिससे होकर यान राज्य सीमा को पार करेगा.

(2) प्रवेश जांच चौकी का जांच चौकी अधिकारी दस्तावेजों की परीक्षा और ऐसी जांच, जैसी कि वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात् परिवहनकर्ता को चालान या दस्तावेज में प्ररूप-69 में मुद्रा अंकित कर अभिवहन पास जारी करेगा जिसमें राज्य की जांच चौकी या नाका (जो इसमें इसके पश्चात् "निर्गम जांच चौकी" के नाम से निर्दिष्ट है), जिससे होकर यान जाने वाला है, और समय तथा तारीख, जिस तक वाहन पास (क्रास) होना चाहिए, विनिर्दिष्ट होगा.

(3) जांच चौकी अधिकारी चालान या दस्तावेज की पहली प्रति रखेगा और सम्यक्रूप से अभिप्रमाणित दूसरी और तीसरी प्रतियां माल ले जा रहे व्यक्ति को देगा.

(4) यान का चालक/यान या भारसाधक व्यक्ति निर्गम जांच चौकी पर वाहन को रोककर सम्यक्रूप से मुद्रांकित या अभिप्रमाणित चालान या दस्तावेज की दूसरी प्रति प्रस्तुत करेगा और यह सुनिश्चित करने के लिये कि राज्य के बाहर ले जाए जा रहे कंसाइनमेंट वे ही हैं, जिसके संबंध में प्रवेश जांच चौकी पर चालान या दस्तावेज प्रस्तुत किया गया था, जांच चौकी अधिकारी को चालान या दस्तावेज तथा माल का निरीक्षण करने के लिये अनुज्ञात करेगा. निर्गम जांच चौकी अधिकारी चालान या दस्तावेज की तृतीय प्रति में अभिस्वीकृति जारी करेगा.

(5) निर्गम जांच चौकी के जांच चौकी अधिकारी को उपनियम (3) में उल्लिखित प्रयोजन के लिये यान को रोक रखने, खाली करवाने और उसके अंदर की वस्तुओं की तलाशी लेने की शक्ति होगा.

2. नियम 75 के अंतर्गत विहित वर्तमान प्ररूप-69 के स्थान पर निम्न प्ररूप प्रतिस्थापित किया जाए :—

प्ररूप-69
[नियम 75 (2) देखिए]

अभिवहन पास
(ट्रांजिट पास)

जारीकर्ता जांच चौकी का नाम .... ट्रांजिट पास क्रमांक ....

चालान/दस्तावेज में दिये गये ब्यौरे के अनुसार माल परिवहित करने वाले वाहन/ट्रक क्रमांक .... को छत्तीसगढ़ की सीमा से .... (अन्य राज्य का नाम) को जांच चौकी .... से .... समय .... दिनांक तक या इससे पूर्व गुजरने की अनुमति प्रदान की जाती है.

दिनांक ....
समय ....

....
जांच चौकी अधिकारी के हस्ताक्षर

(सील)

---

3. यह संशोधन राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 27 मई 2009

क्रमांक एफ 10/15/2009/वाक/पांच (27).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10/15/2009/वाक/पांच (27), दिनांक 27-5-2009 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

Raipur, the 27th May 2009

NOTIFICATION

No. F 10/15/2009/CT/V (27).—In exercise of the powers conferred by section 71 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby makes the following amendment in the Chhattisgarh Value Added Tax Rules, 2006, namely.—

AMENDMENT

In the said Rules,—

For existing rule 75 & sub-rules thereof, the following rule & sub-rules shall be substituted :—

75. Transit of goods by Road through the State and issue of transit pass—

(1) When a vehicle carrying goods coming from any place outside the State and bound for any other place outside the State, passes through the State, the driver/any other person in-charge of the vehicle shall submit challan or any other document, containing following particulars, issued by the transporter, in triplicate to the Check Post Officer of the check post located at/near the point of entry into the State (hereinafter referred to as the Entry Check Post) :—

1. Name and complete address of the consignor— with TIN (if any)
2. Name and complete address of the consignee—with TIN (if any)
3. Name and complete address of the person to whom goods will be delivered in case the consignee is described as self.
4. Place from which goods dispatched
5. Destination (including District)
6. Brief description of goods
7. Total quantity
8. Total weight
9. Total value
10. Consignor's invoice No. and date

11. (a) Name and address of the carrier (transport company or owner of the vehicle)
(b) Details of the vehicle with its number
(c) Name and address of the driver of the vehicle
(d) Name and address of the person in-charge of the goods
(e) Bilty/L. R. No. and date

12. In case of transshipment of goods in transit
(a) Name and address of the carrier (transport company or owner of the vehicle)
(b) Details of the vehicle with its number
(c) Name and address of the driver of the vehicle
(d) Name and address of the person in-charge of the goods
(e) Bilty/L. R. No. and date
(f) Name of the exit check post through which the vehicle would cross the State border.

(2) The Check Post Officer of the entry check post shall, after examining the documents and after making such enquiries as he deems necessary, issue to the transporter the transit pass by affixing a seal in form 69 on the challan or the document, specifying the check post or the barrier of the State to be crossed by the vehicle (hereinafter referred to as the exit check post) and the time and date up to which it should be so crossed.

(3) The Check Post Officer shall retain first copy of the challan or the document and hand over the duplicate and triplicate copies duly sealed or authenticated to the person carrying the goods.

(4) The driver/any person in-charge of the vehicle shall stop the vehicle at the exit check post, submit the duly sealed or authenticated duplicate copy of the challan or the document and allow the check post officer to inspect the challan or the document and goods in order to ensure that the consignments being taken out of the State are the same for which challan or the document has been submitted at the entry check post. The exit check post officer shall issue a receipt on the triplicate copy of the challan or the document.

(5) The Check Post Officer of the exit check post shall have powers to detain, unload and search the contents of the vehicle for the purpose mentioned in sub-rule (3).

2. For exiting Form 69 prescribed under rule 75, the following Form shall be substituted :—

FORM-69
[See rule 75 (2)]

Transit Pass

Name of issuing Check Post .... Transit Pass No. ....

Vehicle*/Truck No. .... carrying the consignments mentioned in challan/documents is permitted to cross Chhattisgarh to .... (Name of the other state) border at .... check post by .... Hours on or before .... Date.

Date ....
Time ....

....
Signature of the check post officer

(SEAL)

---

3. This amendment shall come into force with the date of publication in official gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
V. K. RAI, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.